## समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्र. R 3912-A/15

आर्चडायोसिस ऑफ भोपाल
33, अहमदाबाद पैलेस रोड,
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.) ..... आवेदक

विरुद्ध

1. निर्मला सोनी, आयु लगभग 33 वर्ष
   जाति सुनार, निवासी– ब्लेक भवन, शांति रोड,
   आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)
2. श्रीमती संगीता सोनी, आयु लगभग 37 वर्ष
   जाति सुनार, पत्नी श्री सुभाष सोनी
   निवासी– ब्लेक भवन, शांति रोड,
   आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)
3. सुभाष सोनी, आयु लगभग 40 वर्ष
   आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, जाति सुनार,
   निवासी– ब्लेक भवन, शांति रोड,
   आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) ..... अनावेदकगण

### निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, आष्टा द्वारा प्रकरण क. 1/अ–13/15–16 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

### प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 131 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदक क्र. 1 व 2 कस्बा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर स्थित भूमि खसरा क्र. 268 रकबा 3.00 एकड़, खसरा क्र. 263/1 रकबा 2.09 एकड़, खसरा क्र. 263/2 रकबा 0.16 एकड़, खसरा क्र. 264 रकबा 0.54 एकड़, खसरा क्र. 265 रकबा 0.40 एकड़, खसरा क्र. 267/2 रकबा 0.10 एकड़ कुल किता 5, रकबा 3.28 एकड़ भूमि के भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी हैं तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भी उनके नाम पृथक–पृथक खाते में दर्ज है। अनावेदक क्र. 3, अनावेदक क्र. 2 का पति है तथा उक्त भूमि पर खेती आदि का कार्य करता है इसलिये उसे आवेदक के रूप में संयोजित किया गया है। आवेदक संस्था के नाम से कस्बा आष्टा में ही

...2...

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3918-II/15 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 7-12-15 | 1 मेरे द्वारा प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क सुने गए एवं नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों एवं छायाप्रतियों का अध्ययन किया गया। | |
| | 2 इसके आधार पर ~~निम्न~~ बिन्दु मेरे समक्ष आए हैं, जो आवेदक अधिवक्ता ने तर्क में उठाए हैं:- | |
| | (क) तह. ने आवेदक की निजी भूमि से अनावेदक को रास्ता दिया है | |
| | (ख) आवेदक की इस निजी भूमि स.क्र. 269, 274 में कन्या छात्रावास, विद्यालय आदि संचालित हैं तथा आवेदक के अनुसार इस रास्ते से उनकी सुरक्षा प्रभावित होगी। | |
| | (ग) हालांकि अनावेदक (गैर-निगरानीकार) ने तहसीलदार के समक्ष यह कहा है कि संबंधित विक्रयपत्रों में इस रास्ते का उल्लेख है, किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दो विक्रयपत्रों की प्रतियों में ऐसे किसी रास्ते का उल्लेख नहीं है जिस बाबत आवेदक ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | (घ) खसरा अभिलेख में स.नं. 269 पर रास्ते का उल्लेख नहीं है। ऐसे में, विक्रयपत्र में भी रास्ते का उल्लेख नहीं होने के कारण, 2013 RN 49 (मान. उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री संजय यादव) में पारित निर्णय के प्रकाश में, आवेदक की भूमि से अनावेदक को रास्ता नहीं दिया जा सकता। | |
| | (ङ) यदि तहसीलदार द्वारा आदेशित रास्ता एक कदीमी रास्ता था, तो ऐसा अनावेदक को विधिवत सिद्ध करना था, जिसके बगैर ही तहसीलदार द्वारा यह रास्ता आदेशित किया जाना अनुचित और अवैधानिक है। | |
| | (च) निगराकार के अनुसार, स.नं. 269 पर आदेशित रास्ते के अतिरिक्त, अनावेदक के पास उनकी भूमि तक पहुँचने के लिए दो अन्य ~~रास्ते~~ रास्ते भी उपलब्ध हैं। एक, जो नाले के पास से होकर अनावेदक की अन्य भूमि से होते हुए पहुँचता है। दो, जो स.नं. 272 के पास की मेढ़ से होते हुए अन्दर आ सकता है। | |
| | 3 उपरोक्त पैरा 2 में लिखे गए बिन्दुओं के प्रकाश में, एवं उपलब्ध अभिलेखों और छायाप्रतियों का अध्ययन करके विचारोपरान्त | |

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक R 3912-A-15 जिला .....

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि तहसीलदार ने उपरोक्त पैरा 2 के बिन्दु (क) से (च) पर समुचित विचार किए बगैर, एवं वैकल्पिक रास्ते की संभावना को पूरी तरह टटोले बगैर अपना आक्षेपित आदेश पारित किया है, जिससे आवेदक निगराकार के हित प्रभावित होने संभावित हुए हैं।

अतः मैं तहसीलदार आष्टा को यह आदेश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र.क्र. 1/अ-13/15-16 पुनः खोलें, तथा इस आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम दो सप्ताह के भीतर, पूर्ववर्ती पैरा 2 के बिन्दु (क) से (च) को विचार में लेकर एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का अवसर देते हुए, नए सिरे बोलता हुआ आदेश पारित करें। तब तक के लिये इनका आक्षेपित आदेश दि. 30.10.15

[कृ. प. उ.

R. 3912/11/15

(नौ)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | प्रभावहीन रहेगा।<br><br>आदेश पारित। प्रकरण समाप्त।<br>तह. आष्टा एवं पक्षकार सूचित हों।<br>दा. द. हो।<br><br>1·12·15 | |

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.